राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : **87 / 2018**

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : **30.08.18** निर्णय दिनांक : 21.12.2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का कुकनवाली बनाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाथूराम जाति स्वामी नि. कुकनवाली

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **कुकनवाली** द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाथूराम जाति स्वामी** ने ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म **गै.मु. नाडी** में से रकबा 0.0055 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति राजेन्द्र प्रसाद ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना – पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामनसिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडो [illegible]

0.0055 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा दण्ड [illegible] स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.02 रू का पच्चास गुणा से राशि रू0 10/-- [illegible] जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें। आरोपित [illegible] की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

मॉंग कायनी रा.ले.स.-4
कि पृष्ठ संख्या 29
वर्ष 18-19
रा.जुर्माना 10
क.निलामी /
[illegible] जुर्माना /
[illegible] /

तहसील कुचामन सिटी